भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, (पश्चिम क्षेत्र)
Regional Office, Western Region
E-3/240 अरेरा कालोनी, Arera Colony
भोपाल Bhopal-462016, (म. प्र.) M. P.
दूरभाष : 466525, 465496, 465054
तार/Telegram CENTFOREST
फैक्स/Tele Fax : 0755-463102
E-mail : rccfwr @ bom6. vsnl. net. in

क्रमांक : 8बी/118/2001-एफसीडब्ल्यू/ 3143,

दि- 3-10-2001

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: गुना जिले में गुना नगर बायपास के निर्माण हेतु 3.347 है0 वनभूमि लोक निर्माण विभाग को उपयोग पर देने बाबत् ।

महोदय,

मुझे मध्यप्रदेश सरकार के उक्त विषयक पत्रांक डी/1945/2560/2001/10/3 दिनांक 25.8.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

राज्य शासन के प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात केन्द्र सरकार की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा गुना जिले में गुना नगर बायपास के निर्माण हेतु 3.347 है0 वनभूमि लोक निर्माण विभाग को उपयोग पर देने के प्रस्ताव पर एतद् द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2.अ. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 3.347 है0 गैर वन भूमि (ग्राम बिनायक खेड़ी तहसील गुना जिला गुना खसरा क्र. 175/1) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

ब. इस गैर वनभूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांकित किया जायेगा ।

स. इस गैर वनभूमि को संरक्षित/आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।

3. उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके ।

4. यदि सड़क पर डामरीकरण करना है तो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अन्तर्गत अपेक्षानुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।

5. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।
6. राज्य सरकार द्वारा लगाई अन्य कोई भी शर्त ।

राज्य सरकार द्वारा शर्त संख्या 2 (ब) एवं 3 की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, इस प्रकरण का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा ।

जब तक यह कार्यालय औपचारिक अनुमोदन न कर दे, राज्य सरकार द्वारा उपयोगकर्ता को वनभूमि के वनेत्तर उपयोग का आदेश जारी न किया जाये ।

भवदीय,
1.10.2001
(एस0पी0 यादव)
उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)

प्रतिलिपि :-
1. निदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110 003.
2. मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल को सूचनार्थ ।
3. उप वनमंडलाधिकारी, सामान्य उप वनमण्डल, गुना (म0प्र0) ।
4. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राजमार्ग संभाग-शिवपुरी, (म0प्र0) ।
5. आदेश पत्रावली ।

(एस0पी0यादव)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)